~~874~~
2003

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- जनपद सिरमौर के अन्तर्गत पोन्ता वन मण्डल में कोलर से फण्दी बोदीवाला (कि0मी0 0/00 से 3/60) के निर्माण हेतु 1.86 हे0 वन भूमि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन ।

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB653/2010-CHA/39** दिनांक **26.09.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.86 hectares** वन भूमि को Executive Engineer, B & R Division, HPPWD Paonta Sahib, Distt., Sirmour, H.P, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की वैधानिक स्थित में कोई परिवर्तन नही होगा।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात 3.72 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

3 सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0बी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्चयन को सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से Reclamation कर दिया गया है।

5 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुख्ता–दीवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

6 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

8 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एव भरने का कार्य नही किया जाएगा।

12 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला --2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2014 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,... 25/10/14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Deputy Conservator of Forests (Central), Regional Office, Dehradun, FRI Campus, Pearson Road, New Forest, Dehradun-248006
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
5. The Deputy Commissioner, Sirmour, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh .
6. CF.Nahan/DFO, Forest Division Paonta, Distt. Sirmour, H.P.
7. Executive Engineer, B & R Division, HPPWD Paonta Sahib, Distt., Sirmour, H.P
8. Guard File.

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573

S/ FCA

प्र०मु०अ०पा० हि०प्र०
पावती सं० 2476
दिनांक 29/X/14